

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

अवैध 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी गयी एक अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 वांछित

अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 10.11.2020 को वादी राजेश राजभर पुत्रकल्पू राजभर ग्राम गोधौरा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर अभिषेक यादव पुत्र रामचेत यादव ग्राम खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0 243/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

दिनांक 12.11.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 12.11.2020 को समय करीब 20.20 बजे मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 243/20 धारा 379 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामचेत यादव ग्राम खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व अभियुक्त सन्तोष पासी पुत्र स्व0 दरोगा पासी ग्राम बिलाइच थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर को बजहा पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी पर अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामचेत यादव के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ व एक अदद मोटर साइकिल न0 UP 50 AU 3097 सुपर स्पलेण्डर सम्बन्धित मु0अ0स0 243/20 धारा 379 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सन्तोष पासी पुत्र स्व0 दरोगा पासी ग्राम बिलाइच थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 245/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभिषेक यादव पुत्र रामचेत यादव ग्राम खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अभिषेक यादव पुत्र रामचेत यादव ग्राम खोजापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. सन्तोष पासी पुत्र स्व0 दरोगा पासी ग्राम बिलाइच थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

पंजीकृत अभियोग:-

अभिषेक यादव

मु0अ0स0 245/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:

मु0अ0स0 243/20 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 विजय नरायन त्रिपाठी
2. हे0का0 अरविन्द यादव
3. का0 प्रवीण कुमार सिंह
4. का0 संदीप वर्मा

थाना- महाराजगंज

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादिनी द्वारा अपने खेत की जुताई हेतु सुखई के सहन के सामने से ट्रैक्टर लेकर जाने के की बात को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पति सुदर्शन सिंह को गाली गुप्ता देते हुए लाठी डण्डे से बुरी तरह मारने पीटने, जिससे वादिनी के पति सुदर्शन सिंह पुत्र धर्मराज का मौके पर बेहोश हो जाने व बीच बचाव करने जाने वादिनी व रणविजय सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह को भी मारना पीटना। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 232/20 धारा 323, 504, 308 भादवि पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 13.11.2020 को उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के साथ थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, दिपावली व धनतेरस पर्व के दृष्टिगत शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी तथा तलाश वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 232/2020 धारा 323, 504, 308 भादवि में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 232/2020 धारा 323, 504, 308 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त कालिका यादव शिवशंकरी तिराहा के पास मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण के प्रस्थान कर शिवशंकरी तिराहा आये, तो एक व्यक्ति शिवशंकरी तिराहा के पास वृक्ष के

नीचे चबूतरे पर बैठा था , पुलिस टीम द्वारा उक्त बैठे व्यक्ति को एकबारगी घेरकर पकड़ लिया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो पकड़ा गया व्यक्ति अपना नाम कालिका यादव पुत्र स्व0 रामलखन यादव सा0 पैकौली थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया, पकड़ा गया व्यक्ति मु0अ0सं0 232/2020 धारा 323 ,504,308 भादवि नामित अभियुक्त है जिसे कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए समय करीब 10.20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 232/20 धारा 323, 504, 308 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

कालिका यादव पुत्र स्व0रामलखन यादव सा0 पैकौली थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह, हे0का0 रमेश कुमार, का0 रामसरन

थाना सरायमीर

वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित/वारण्टी व चोर/लुटेरो/महिला सम्बन्धित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के क्रम में दिनांक 13.11.2020 को मु0अ0सं0 218/20 धारा 354/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त रामभवन पुत्र बेचू लाल राम निवासी ग्राम खानकाह थाना सरायमीर आजमगढ़ को उसके घर ग्राम खानकाह थाना सरायमीर आजमगढ़ से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 218/20 धारा 354/506 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामभवन पुत्र बेचू लाल राम निवासी ग्राम खानकाह थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशुतोष मिश्रा थाना सरायीर जनपद आजमगढ़
2. का0 हिमांशु सिंह थाना सरायीर जनपद आजमगढ़
3. का0 अश्वनी यादव थाना सरायीर जनपद आजमगढ़।